श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं. 409, "ए" विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

अपील सं. 24/एएस(आरवाई)/आईसी/ आरटीआई/2016

के मामले में:

श्री सच्चानन्द गुरबानी,

73/221, शिप्रा पथ, मानसरोवर,

जयपुर-302020 ....अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,

विधि और न्याय मंत्रालय,

विधि कार्य विभाग.

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ....प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक: 4.10.2016

श्री सच्चानन्द गुरबानी (यहां इसके पश्चात् अपीलार्थी) ने अपने दिनांक 1.8.2016 की याचिका (विभाग में दिनांक 10.8.2016 को प्राप्त) में अपनी दिनांक 6.11.2015 की याचिका पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात् प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 22.8.2016 के उत्तर में अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन-पत्र का जवाब दे दिया था। मैंने प्रार्थी के आरटीआई आवेदन-पत्र व उसके साथ संलग्न उनकी दिनांक 6.11.15 की याचिका को और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब को पढ़ा है, जिससे पता चलता है कि प्रार्थी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बैंच द्वारा उनके मामले के निर्णय में हो रहे विलंब से व्यथित है। उनके द्वारा विभाग से उपलब्ध कोई भी सूचना नहीं मांगी गई है अपितु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(क) के अंतर्गत आदेश पारित किए जाने के संबंध में लिखा है, जो दरअसल सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के

अधीन आवेदक को केवल उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में यथापरिभाषित सूचना ही उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अतः मैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तर का समर्थन करता हूं क्योंकि लोक सूचना अधिकारी ऐसी किसी सूचना को देने के लिए बाध्य नहीं है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अधीन दी गई सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

3. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है।

रा० या०

(रामायण यादव)

अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

दूरभाष सं. 23384204

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. श्री सच्चानन्द गुरबानी, 73/221, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020
2. श्री के. गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग,'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

5/10/16